This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 / 28 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2025

संख्याः इण्ड–बी–एफ(6)–14–2014–IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड–II–(एफ) 6–14 / 2014 तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) सातवां संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 79 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 79 के उप–नियम (4) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

> "परन्तु यह और कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित ऐसे सरकारी अनुमादित लघु सनिर्माण संकर्म के मामले में, जहां अनुमानित परियोजना खर्चे 10,00,000 / – (दस लाख रुपए) तक हो, वहां सम्बद्ध विभाग जनित खनिज के परिमाणीकरण के पश्चात् रॉयल्टी के साथ अन्य लागू करों / प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् जनित गौण खनिजों के स्व स्थल पर उपयोग की अनुज्ञा देगा।"।

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 नजीम, भा0प्र0से0,
सचिव (उद्योग)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV, dated 17-09-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 17th September, 2025

No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV.— In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified *vide* this Department's Notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Seventh Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 79.—In rule 79 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015, in sub-rule (4),—

after first proviso of sub-rule 4, the following second proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of Government approved small scale construction works pertaining to Department of Rural Development and Panchayati Raj where estimated project costs is upto 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs), the concerned Department after quantifying the mineral shall permit the use of minor mineral generated in-situ after deducting the royalty along with other applicable taxes/charges."

By order,

R. D. NAZEEM, IAS,
Secretary (Industries).

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 22nd August, 2025

No. NES-F(10)-2/2025-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify **"Green Panchayat Scheme"** as per enclosed Annexure-A in the public interest, with immediate effect.

By order

Sd/-
(RAKESH KANWAR)
Secretary (NES).

"Annexure-A"

SCHEME FOR DEVELOPING 100 GREEN PANCHAYATS IN HIMACHAL PRADESH

1. Introduction.—The Government of Himachal Pradesh is deeply committed to harnessing the State's abundant solar energy potential and has set an ambitious goal of becoming the first "Green Energy State" in India by 2026. This vision is in alignment with the National target set by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, which aims to achieve 500 GW of renewable energy capacity by 2030, including 330 GW from solar power.

Under India's Nationally Determined Contributions (NDCs), Himachal Pradesh has been assigned a target of 1,995 MW of solar capacity by 2030. According to estimates by the National Institute of Solar Energy, the State has an overall solar power potential of approximately 34,000 MW. Recognizing this vast opportunity and the extensive solar potential of the State; Government

of Himachal Pradesh is actively promoting the development of solar energy projects through both public and private sector participation, paving the way for a sustainable and self-reliant energy future.

A key focus of the Government's strategy is the **promotion of decentralized power generation at the panchayat and village levels.** By enabling power generation closer to the point of consumption, this approach helps **reduce transmission and distribution losses,** ensures **energy access in remote areas,** and strengthens the local economy. Localized renewable energy generation will not only improve grid resilience but also empower panchayats to become self-reliant in meeting their electricity needs sustainably. To this end, the present scheme has been designed with the aim of installing decentralized ground-mounted Solar Power Projects (SPP) of 500 kW (AC) capacity each in hundred Gram Panchayats of the State.

2. Objectives of the Scheme.—Under this scheme, waste or barren government land available in Gram Panchayats will be identified and utilized to set up 500 kW (AC) ground-mounted SPPs in 100 Gram Panchayats. The revenue generated from these projects will be utilized to support various green initiatives, including:—

1. Installation of grid-connected rooftop solar plants in Government buildings.
2. Deployment of solar agricultural pumps.
3. Rejuvenation of natural water bodies.
4. Afforestation and plantation drives.
5. Collection and disposal of solid and liquid waste.
6. Other development-related activities in the Panchayats.

3. Implementation, Operation, and Maintenance Methodology:

3.1 Sites for installing 500 kW Ground-Mounted Solar Power Projects will be identified based on the following criteria:

a) South-facing orientation.

b) A minimum area of one hectare.

c) Free from significant tree growth.

d) Preferably within 500 meters of an 11 kV transmission line.

3.2 The concerned Gram Panchayat will issue a No Objection Certificate (NOC) if the selected site is recorded as its property in the revenue records.

3.3 For other government lands, HIMURJA shall apply to the concerned Deputy Commissioner for the transfer of land to the Department of Non-Conventional Energy Sources.

3.4 If required, HIMURJA shall bear all expenses related to the diversion of forest land for non-forestry purposes under the Forest Rights Act, 2006.

3.5 After land transfer, HIMURJA will prepare a Detailed Project Report (DPR) and invite bids from Engineering, Procurement, and Construction (EPC) contractors for setting up the solar power projects. The operation and maintenance period of these projects will be a minimum of five years from the date of commissioning.

3.6 After the expiry of the O&M period of five years, HIMURJA will be responsible for the Operation and Maintenance of the project for the remaining 20 years.

3.7 HIMURJA shall apply for the Connectivity Agreement with Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (HPSEBL) for these solar projects.

3.8 HIMURJA shall file a joint petition with HPSEBL before the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC), following which a Power Purchase Agreement (PPA) will be signed with HPSEBL as per the tariff approved by HPERC.

3.9 The revenue generated from these solar projects will be shared as given below:

a) 20% to the State Government treasury.

b) 20% for Operation & Maintenance of the project through HIMURJA.

c) 10% to HIMURJA.

d) 30% to the concerned Gram Panchayat for various development related activities.

e) 20% to the concerned Gram Panchayats for providing financial assistance to orphans and widows in the Gram Panchayat.

Gram Panchayats share of the revenue generated will be released on annual basis. A Memorandum of Understanding (MoU), as per Annexure-I, will be signed with the concerned Gram Panchayat to this effect.

4. Monitoring of Solar Power Projects:

HIMURJA shall ensure that the SPPs are installed and commissioned as per the latest specifications of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India.

4.1 All electrical equipment, except solar panels, will have a minimum warranty of five years.

4.2 The Solar Photovoltaic (SPV) modules will carry a warranty of 25 years.

4.3 The EPC contractor will be responsible for the operation and maintenance of the project for five years, with the possibility of an extension on mutually agreed terms or through fresh bidding.

5. Dispute Resolution

Any dispute arising between HIMURJA and a Gram Panchayat shall be referred to the Secretary (NES) to the Government of Himachal Pradesh, whose decision shall be final and binding on both parties.

Notwithstanding anything contained in any provision of this scheme, the State Government may any time make any amendment/repeal/grant any relaxation/impose any condition in addition to the existing provisions of *ibid* scheme.

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 22nd August, 2025

No. NES-F(1)-1/2020.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify **"Scheme For Setting Up Solar Power Projects With Interest Subsidy for Bonafide Himachalis"** as per enclosed Annexure-A in the public interest, with immediate effect.

By order

Sd/-
(RAKESH KANWAR)
Secretary (NES).

Annexure-"A"

SCHEME FOR SETTING UP SOLAR POWER PROJECTS WITH INTEREST SUBSIDY FOR BONAFIDE HIMACHALIS

1. Introduction. The Government of Himachal Pradesh is firmly committed to harnessing the State's vast renewable energy potential with a vision to make Himachal Pradesh the first "Green Energy State" by the year 2026. This ambitious goal is aligned with the National energy roadmap set by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India, which targets the addition of 500 GW of renewable energy capacity by 2030, including 330 GW from solar power alone.

As part of this National target, Himachal Pradesh has been allocated a solar energy capacity addition target of 1,995 MW by 2030. According to estimates by the National Institute of Solar Energy (NISE), the State has a solar power potential of 34 GW (34,000 MW), offering vast opportunities for clean energy development.

Recognizing this immense potential, the State Government is taking proactive steps to facilitate the development of Solar Power Projects (SPP) through both government-led and private sector initiatives. To this end, the present scheme has been designed specifically to encourage Bonafide Himachalis to participate in the clean energy transition by setting up ground-mounted solar power projects.

2. Objectives of the Scheme:

2.1 To encourage Bonafide Himachalis to develop SPPs and contribute to the State's renewable energy targets.

2.2 To promote self-employment and entrepreneurship in the renewable energy sector.

2.3 To facilitate financial assistance through interest subsidy, making solar power projects financially viable.

2.4 To strengthen the local economy by generating employment and skill development opportunities.

3. Nodal Agency. HIMURJA will be the Nodal Agency for implementing the scheme.

4. Project Allotment and Capacity Allocation:

4.1 **5 % interest subsidy** shall be provided for setting up ground-mounted SPPs ranging from 100 kW to 1 MW capacity in tribal areas.

4.2 **4 % interest subsidy** shall be provided for setting up ground-mounted SPPs ranging from 250 kW to 2 MW capacity in non-tribal areas.

4.3 The SPPs will be allotted on a first-come, first-served basis.

5. Eligibility:

5.1 Only Bonafide Himachalis can apply under this Scheme for setting up SPPs.

5.2 These projects have to be set up by the applicants either on their own land or land taken on lease.

5.3 The applicants will be required to deposit an application fee of Rs. 10,000 for SPPs upto 1 MW. For SPPs above 1 MW and upto 2 MW this fee will be Rs 1,00,000. This fee is non-refundable.

5.4 Applicants who have previously been allotted SPPs under any scheme wherein subsidy has been claimed will not be entitled to the allotment of a SPP under this scheme.

5.5 Only one SPP will be allotted to a member of the family. The word "family" means husband, wife, unmarried sons, and unmarried daughters.

6. Application Process:

6.1 The applicant will submit the application in the prescribed application format. A link for the same will be separately activated during the application window at the official website of HIMURJA i.e., www.himurja.hp.gov.in

6.2 The following documents have to be uploaded online with the application:

i) Bonafide Himachali Certificate

ii) Date of Birth Certificate

iii) Aadhar Card

iv) The details of the land (Jamabandi, Tatima, Field Book, etc.)

v) Bank details with IFSC code

vi) PAN details, if available

vii) Proof of having deposited the requisite application fee

7. **Timelines for allotment of SPP.** HIMURJA will compile all the applications, examine them, and put them before the Technical Committee for approval. The composition of the Technical Committee shall be as follows:

1.	Chief Executive Officer	Chairman
2.	PD-*cum*-Deputy Chief Executive Officer	Member
3.	Project Manager (Solar)	Member
4.	Assistant Controller (Finance & Accounts)	Member
5.	Sr. Project Officer (SPV) HIMURJA	Member Secretary

a) On the recommendations of the Technical Committee the projects will be registered by HIMURJA on a provisional basis.

b) Permanent registration will be done by HIMURJA on the commissioning of the project after the declaration of the final Commercial Operation Date (COD) of the project.

8. Implementation Mechanism:

8.1 The energy generated from the SPPs will be purchased by Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (HPSEBL) at the tariff approved by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) and will remain in force as per the terms and conditions stipulated in the Power Purchase Agreement (PPA).

8.2 The SPPs will be allowed solid-tap connectivity in an 11 kV network. However, if the project site is not in close proximity to an existing 11/33 kV network, the project developer will have to construct an 11/33 kV line from the proposed project site upto the nearest existing HBSEBL 11/33kV transmission line at his own cost and risk. The transmission line will be maintained by the applicant in the future.

8.3 The applicant will apply for a Connectivity Agreement (CA) with HPSEBL within 10 days of the issue of the Provisional Registration letter. HPSEBL will sign the CA with the successful applicants within 15 days of receiving their application. Thereafter the applicant shall move a Joint Petition with HPSEBL to be filed before the HP. Electricity Regulatory Commission (HPERC) for approval of tariff for the solar project.

8.4 Within 21 days of the issuance of the provisional registration letter, the applicant will be required to deposit an Earnest Money Deposit (EMD) to ensure that they

are serious about setting the project. This EMD amount shall be refundable. For SPPs upto 1 MW this EMD shall be Rs. 1 lakh. This amount for the SPPs above 1 MW will be Rs. 2 lakh. This amount will be refunded only after the commissioning of the project. However, no interest will be payable on the amount deposited with HIMURJA. In the event the applicant fails to commission the project within the given time period, this amount will stand forfeited. After approval is accorded by HPERC, the applicant will sign the PPA with HPSEBL.

8.5 The applicant will then apply to the Financial Institutions, namely, Public Sector Banks, Private Sector Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks, and Cooperative Banks only for seeking loan for setting up the ground-mounted SPP. The loan amount will not be more than 70 percent of the project cost as determined by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) in the relevant Tariff Order for that period. In any case, this loan amount shall not be more than Rs. 5 Crores.

8.6 After approval of the loan, the applicant shall share the repayment schedule with HIMURJA.

8.7 Since for SPPs, no environment clearances, surveys, and investigations, Techno Economic Clearances, etc., are required, a period of 12 months will be sufficient for the completion and commissioning of the project. In case the SPP developer is unable to get the project commissioned within 12 months, a notice will be issued to the SPP developer to show cause as to why the project allotted to them may not be cancelled. The allotment of the project will be cancelled if the reply to the show cause notice is not found to be satisfactory and the EMD deposited by the project developer will stand forfeited.

8.8 An extension of a maximum of 6 months at a time can be given for the completion of the SPPs for reasons not attributable to the applicant.

8.9 The applicant shall submit a report on a monthly basis about the progress of the project in a prescribed format. Senior Project Officer/Project Officer of the District will monitor the progress on quarterly basis.

9. Financial Assistance – Interest Subsidy

9.1 Under this scheme, the Government of Himachal Pradesh (GoHP) will provide an interest subsidy benefit to eligible SPP developers. The subsidy will be calculated based on the actual interest paid on the project loan during each Financial Year, ending on 31st March. The subsidy amount shall be computed using the following formula:

Subsidy Amount = (Interest Subsidy Rate ÷ Actual Interest Rate) × Actual Interest Paid on the project loan during each Financial Year, ending on 31st March.

The subsidy amount shall be subject to the cap that the Actual Interest Rate shall not exceed 10% per annum. The interest subsidy will be disbursed annually and will be applicable only for the loan tenure, upto a maximum of ten years from the date of loan disbursement.

9.2 For establishing solar projects ranging from 100 kW to 1 MW in tribal areas the interest subsidy shall be 5 percent.

9.3 For establishing solar projects ranging from 250 kW to 2 MW in non-tribal areas the interest subsidy shall be 4%.

9.4 While providing this subsidy, necessary deduction on account of the interest subsidy, if any, availed by the beneficiary under the Agriculture Infrastructure Fund Scheme of the Department of Agriculture and Farmers Welfare, GoI or any other Central Government/State Government Scheme will be accounted for, both in terms of the interest rates and the loan repayment period. Thus, in case a beneficiary avails interest subsidy under any other Scheme, then they shall be entitled only to the differential interest subsidy under this scheme, as per the provisions contained therein.

9.5 The interest subsidy shall be applicable on loans availed from Public Sector Banks, Private Sector Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks, and Co-operative Banks only.

9.6 The loan amount will not be more than 70 percent of the project cost as determined by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) in its Tariff Order for the relevant period and will be capped at ₹ 5 crore.

9.7 The interest subsidy will be released after the commissioning of the Solar Power Project.

9.8 This interest subsidy would not be available in case there is a default in the payment of the EMIs or the beneficiary reschedules the loan for term of more than 10 years.

10. Process of Reimbursement of Interest Subsidy. To ensure a smooth and transparent mechanism for disbursing the interest subsidy under this scheme, the following process shall be followed:

10.1 **Calculation and Verification of Interest Subsidy.** After the commissioning of the Solar Power Project (SPP) the beneficiary shall submit a claim at the end of the Financial Year for interest subsidy to HIMURJA along with the following documents:

i) A copy of the loan sanction letter from the bank.

ii) A certificate from the lending bank specifying the total loan amount, repayment tenure, interest rate, applicable EMI schedule.

iii) A statement of interest paid during the relevant financial year, certified by the bank.

iv) A verification report from the bank stating that no default has occurred in EMI payments.

v) An affidavit to be submitted by the beneficiary, mentioning therein, the amount of interest subsidy received by them, during the financial year under some other Scheme, if any.

vi) An undertaking from the beneficiary that the project has not been transferred or leased and remains operational.

10.2 HIMURJA will conduct a preliminary verification of the documents to ensure compliance with scheme guidelines. Any discrepancies or missing documents shall be communicated to the applicant for rectification within 30 days. HIMURJA shall also conduct periodic inspections of the commissioned project to verify its operational status and compliance with the terms and conditions of the scheme.

10.3 **Sanctioning of Interest Subsidy:**

i) Based on the verification, HIMURJA will compile the total interest subsidy requirement for all eligible beneficiaries and forward it to the Department of Non-Conventional Energy Sources, Government of Himachal Pradesh, for sanction.

ii) The Department of Non-Conventional Energy Sources shall review the submitted claims and issue a financial sanction for the release of funds to HIMURJA.

iii) The sanctioned subsidy amount shall be allocated in the State Budget under a dedicated head for this scheme.

10.4 **Disbursement of Interest Subsidy:**

i) Upon receipt of the sanctioned funds, HIMURJA will release the interest subsidy directly into the beneficiary's loan account with the respective lending bank. The subsidy will be credited on a **yearly basis.**

ii) The beneficiary will continue to receive the interest subsidy for a maximum tenure of **ten years** as per the scheme guidelines, provided there is no default in loan repayment.

10.5 **Conditions for Withholding or Cancellation of Subsidy:**

a) The interest subsidy will be discontinued in the following cases:

i) If the beneficiary defaults on EMI payments.

ii) If the beneficiary reschedules the loan for a period beyond **ten years.**

iii) If the project is found non-operational during any periodic inspection.

iv) If the project is transferred or leased to another entity.

v) In case of subsidy discontinuation, HIMURJA will notify the beneficiary and the bank, and no further payments will be processed under the scheme.

b) If any fraudulent claims or misrepresentation of facts are detected, the entire subsidy amount disbursed shall be recovered from the beneficiary.

11. Commencement and duration of the scheme. The scheme shall come into force from the date of its notification and shall remain operative till 31st March, 2028 or as notified by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

12. Monitoring and Compliance:

12.1 Beneficiaries must ensure timely commissioning of the project within 12 months from the date of sanction.

12.2 HIMURJA will conduct regular site inspections and monitor energy generation to ensure proper fund utilization compliance with guidelines.

12.3 HIMURJA shall maintain a database of all beneficiaries and periodically report the subsidy disbursement details to the Department of Non-Conventional Energy Sources.

13. Other Terms and Conditions:

13.1 After the commissioning of the project, all further correspondences related to the PPA and payment on account of the energy generated shall be done with HPSEBL.

13.2 Transfer of project shall not be allowed under this scheme.

13.3 Royalty at the rate of 05 paisa per unit will be charged from all Solar Power Projects installed under this scheme.

14. Power to amend and/or relax/repeal any provisions of the Scheme. Notwithstanding anything contained in any of the provisions of this scheme, the State Government may at any time:

14.1 Make any amendment to this scheme or repeal it.

14.2 Make any relaxation in applying the provisions of this scheme on merits of each case, as the State Government may consider necessary and appropriate.

14.3 Impose any conditions to the provision of this scheme on merits of each case, as the State Government may consider necessary and appropriate.

15. Dispute resolution. If any dispute arises out of the interpretation of this scheme between HIMURJA and the developers of the Solar Power Project, the same will be referred to the ACS/Pr. Secretary/Secretary (NES) to the Government of Himachal Pradesh, whose decision will be final and binding on both the parties.

16. Expected Outcomes

16.1 Deployment of 100 MW of solar power capacity by Bonafide Himachali entrepreneurs.

16.2 Employment generation in project development, maintenance, and allied activities.

16.3 Reduction in dependency on conventional energy sources and enhancement of clean energy generation.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 11 सितम्बर, 2025

संख्याः 7–1/2025–ई.एक्स.एन.–23486.––प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डा0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय–समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात् "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि तत्काल प्रभाव से मान्य होंगे :–

संशोधन

In the existing rules:—

After rule 9.13, a new rule 9.13 (A) is added as under :—

"The licensee shall agree to the posting of a security personnel to his distillery/bottling plant/brewery for the purpose of avoiding illegal activities and untoward incidents. The establishment shall consist of two home guards as the Financial Commissioner shall deem sufficient for the requirements of the distillery. This staff shall be subject to the inspection by the Financial Commissioner and the Collector and be under the Administrative control of the Collector.

Further, the salary of home guards shall be borne by the concerned manufacturing plants and they shall be rotated by the Collector (Excise) of the Zone after a prescribed period within the same District."

.

हस्ताक्षरित / –
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।

––––––––––––

[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-EXN-23486, dated 11-09-2025 as required under Article 348 (3) of the Constituted of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 11th September, 2025

No. 7-1/2025-EXN-23486.—In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise

Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with immediate effect :—

AMENDMENT

In the existing rules:—

After rule 9.13, a new rule 9.13 (A) is added as under :—

"The licensee shall agree to the posting of a security personnel to his distillery/bottling plant/brewery for the purpose of avoiding illegal activities and untoward incidents. The establishment shall consist of two home guards as the Financial Commissioner shall deem sufficient for the requirements of the distillery. This staff shall be subject to the inspection by the Financial Commissioner and the Collector and be under the Administrative control of the Collector.

Further, the salary of home guards shall be borne by the concerned manufacturing plants and they shall be rotated by the Collector (Excise) of the Zone after a prescribed period within the same District."

Sd/-
Commissioner of State Taxes and Excise.

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी, गांव शालाडू, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शालाडू, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी माता जिनका नाम मालती है उसकी मृत्यु दिनांक 31–03–1999 को गांव शाला, ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। लेकिन अज्ञानतावश वे अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत

दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मेरी माता की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 26–09–2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 26–09–2025 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 23–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शालाडू, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शालाडू, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पिता जिनका नाम भीलो राम है जिनकी मृत्यु दिनांक 10–02–2001 को गांव शाला, ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। लेकिन अज्ञानतावश वे अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मेरे पिता की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 26–09–2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 26–09–2025 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 23–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

भारती कुमारी पुत्री स्व0 श्री भोगिन्द्र कुमार, गांव सुदल, डाकघर सिढ़कुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4063/2025, दिनांक 08–07–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/14830, दिनांक 08–07–2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका भारती कुमारी पुत्री स्व0 श्री भोगिन्द्र कुमार, गांव सुदल, डाकघर सिढ़कुंड, ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका भारती कुमारी पुत्री स्व0 श्री भोगिन्द्र कुमार, गांव सुदल, डाकघर सिढ़कुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 08–07–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भारती कुमारी पुत्री स्व0 श्री भोगिन्द्र कुमार, गांव सुदल, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 16–10–1999 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका भारती कुमारी पुत्री स्व0 श्री भोगिन्द्र कुमार, गांव सुदल, डाकघर सिढ़कुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढ़कुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

दिनेश कुमार पुत्र श्री राम चरण, गांव पुखरोटी, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4064/2025, दिनांक 18–07–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/13497, दिनांक 18–06–2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक दिनेश कुमार पुत्र श्री राम चरण, गांव पुखरोटी, डाकघर मसरूंड, ग्राम पंचयात मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक दिनेश कुमार पुत्र श्री राम चरण, गांव पुखरोटी, डाकघर मसरूंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–06–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनेश कुमार पुत्र श्री राम चरण, गांव पुखरोटी, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 16–11–1994 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक दिनेश कुमार पुत्र श्री राम चरण, गांव पुखरोटी, डाकघर मसरूंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
42 / NT / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	09–09–2025	25–09–2025

श्री कुलदीप सिंह पुत्र कांशी राम, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण श्री कुलदीप सिंह पुत्र कांशी राम, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री कुलदीप सिंह पुत्र कांशी राम, वासी मोहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 04–07–1975 को ग्राम पंचायत चमियाणा में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चमियाणा में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25–09–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 09–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
46 / NT / 2024	नाम दुरुस्ती	14–08–2025	25–09–2025

श्रीमती गौंरा देवी पुत्री प्रसिन्दा, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती गौंरा देवी पुत्री प्रसिन्दा, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती गौंरा देवी पुत्री प्रसिन्दा, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल सुजानपुर में गौंरा देवी पुत्री प्रसिन्दा दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुमन कुमारी पुत्री प्रसिन्दा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मुहाल सुजानपुर के राजस्व अभिलेख में गौंरा देवी उर्फ सुमन कुमारी पुत्री प्रसिन्दा किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25–09–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Rakesh Sharma, HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Rajesh Kumar s/o Dilap Singh, r/o Village Sanani, Post Office Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Priti Rajbhar d/o Daya Ram, r/o Village Bakesh, Post Office Bardash, Tehsil Lalganj, Distt. Azamgarh, U.P.

Versus

General Public

Subject. — Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application *u/s* 16 of Special Marriage Act, 1954 along with Affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 16-04-2025 at Mata Jhanari Devi Mandir Jhanari, Hamirpur, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this office on or before 04-10-2025 at 11.00 A.M. The objection (s) after 04-10-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 04-09-2025 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
(RAKESH SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Avinash Guleria s/o Ranjodh Singh, r/o Village Bathrun, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Dolly Kumari d/o Niraj Kumar, r/o Gram Parshumampur, Post Office Thana Parasi Arwal, Bihar

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage u/s 5 of Special Marriage Act, 1954.

Avinash Guleria & Dolly Kumari have filed an application *u/s* 5 of Special Marriage Act, 1954 along with affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person have any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 18-10-2025 at 11.00 A.M. In case no objection in received by 18-10-2025 at 11.00 A.M. it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-10-2025

Seal.

Sd/-
(RAKESH SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Vishal Rana s/o Rakesh Rana, r/o Village Mushan Bahal, Post Office Pansai, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).

2. Archana d/o Babu Lal, r/o Village Khanpur, Post Office Mandhana, Tehsil Narnaul, District Mohinder Garh, Haryana.

Versus

General Public

Subject. — Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application *u/s* 16 of Special Marriage Act, 1954 along with affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 18-02-2025 at Village Arya Samaj Outer Ringh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 25-10-2025 at 11.00 A.M. The objection (s) after 25-10-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 03-09-2025 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Anil Kumar s/o Raj Kumar, r/o Village Kunna, Post Office Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Nivedita Singh d/o Gyanewshwar Singh, r/o Lavkani Deoria (U.P.).

Versus

General Public

Subject. — Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application *u/s* 16 of Special Marriage Act, 1954 along with affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 11-07-2025 at Village Kunna, Post Office Booni, Tehsil Nadaun and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 28-10-2025 at 11.00 A.M. The objection (s) after 28-10-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 04-08-2025 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Akshay Kumar s/o Ram Kishan, r/o Village Ansara, Post Office Kiptal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Aandii d/o Madan Ram, r/o Village & Post Office Pitoli Pakhari Alomra Uttrakhand.

Versus

General Public

Subject. — Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application *u/s* 16 of Special Marriage Act, 1954 along with affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 17-07-2025 at Mata Bagla Mukhi Mandir Kangoo and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 10-10-2025 at 11.00 A.M. The objection (s) after 10-10-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 03-09-2025 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 26–09–2025

अनिल कुमार

बनाम

व्यास देव आदि

प्रतिवादी श्रीमती पवना देवी व संध्या देवी और रक्षा देवी पुत्रियां और धर्मी देवी पत्नी स्वो दीनू पुत्र सुखिया, श्री मेहर चंद पुत्र और श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री और फुला देवी पत्नी स्व0 रत्तो राम उपनाम रतन चंद, श्रीमती सोघु व द्रोहली व सुंकी व फिनी व प्रोजू पुत्रियां व सेवती पत्नी स्व0 कांशी राम पुत्र मोलक, शशि कुमार पुत्र व प्रोमिला पुत्री और इंद्रा देवी पत्नी स्व0 प्रकाश चंद पुत्र सीतू, श्रीमती सैनी देवी पत्नी स्व0 सीतू पुत्र भौंठु, श्रीमती सुषमा देवी पुत्री किशोरी लाल पुत्र सीतू, श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 जग्गो पुत्र तुलसी राम, श्रीमती शौम्या गौड़ पुत्री श्रीमती कुसुमलता पुत्री चंदरकांता, श्रीमती सुनीता पत्नी सतीश कुमार पुत्र किशन चंद निवासीयान गांव रसां, डाकघर सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नम्बर 274, खतौनी नंबर 324 ता 328, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 1–29–74 है0, वाक्या महाल रसां, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा जमाबंदी साल 2019–20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र छिमेद उर्फ तत्तां पुत्र शर्ब ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26–09–2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होंवे। अन्यथा गैर–हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 24–09–2025

विशाल क्रांति

बनाम

व्यास देव आदि

प्रतिवादी श्रीमती पवना देवी व संध्या देवी और रक्षा देवी पुत्रियां और धर्मी देवी पत्नी स्वो दीनू पुत्र सुखिया, श्री मेहर चंद पुत्र और श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री और फुला देवी पत्नी स्व0 रत्तो राम उपनाम रतन चंद, श्रीमती सोघु व द्रोहली व सुंकी व फिनी व प्रोजू पुत्रियां व सेवती पत्नी स्व0 कांशी राम पुत्र मोलक, शशि कुमार पुत्र व प्रोमिला पुत्री और इंद्रा देवी पत्नी स्व0 प्रकाश चंद पुत्र सीतू, श्रीमती सैनी देवी पत्नी स्व0 सीतू पुत्र भौंठु, श्रीमती सुषमा देवी पुत्री किशोरी लाल पुत्र सीतू, श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 जग्गो पुत्र तुलसी राम, श्रीमती शौम्या गौड़ पुत्री श्रीमती कुसुमलता पुत्री चंदरकांता, श्रीमती सुनीता पत्नी सतीश कुमार पुत्र किशन चंद निवासीयान गांव रसां, डाकघर सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नम्बर 274, खतौनी नंबर 324 ता 328, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 1–29–74 है0, वाक्या महाल रसां, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा जमाबंदी साल 2019–20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र छिमेद उर्फ तत्तां पुत्र शर्ब ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26–09–2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होंवे। अन्यथा गैर–हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

Before the Marriage Officer-cum-**Sub Divisional Officer, Tehsil Dheera (H.P.)**

In Ref. :

Lucky & Sapna Devi

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Lucky s/o Sh. Gandhi Ram, resident of Village Har Warla, P.O. Kakrain, Sub-Tehsil Sulah, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) Pincode-176 085 and Sapna Devi d/o Sh. Nek Chand, resident of Vill. Dehru, P.O. Kahanphat, Teh.Sil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code-176 101. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 08-10-2025 otherwise above marriage will be registered.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Officer,*
Dheera, District Kangra (H.P.).

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0

मधु वाला पत्नी श्याम लाल इवसी उप–महाल नरवाना, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. मंगला देवी पत्नी गिटा राम, 2. रॉबिन कुमारी पुत्री लाल चन्द, 3. कार्तिक वेद प्रकाश पुत्र नरेन सिंह, 4. अरूणा पत्नी नरेन दास, 5. तरसेम कुमार पुत्र ईश्वर दास, 6. उर्वशी पुत्री ईश्वर दास, 7. रीना देवी पत्नी राज कुमार, निवासी उप–महाल नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––तकसीम भूमि खाता नं0 307, खतौनी नं0, 512, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 00–20–16 है0, वाक्या उप–महाल नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया मधु वाला पत्नी श्याम लाल इवसी, उप–महाल नरवाना, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, वादी द्वारा इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी / इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–10–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 104 / 25.

विनय कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव व डा0 योल, तहसील धर्मशाला, Through SPA श्री अंशुल शर्मा पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी गांव अंदराड़, पोस्ट ऑफिस टंग नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. अजय कुमार, 2. जीवन कुमार पुत्र रोशनी देवी, 3. सुरिन्दर कुमार, 4. मनीष कुमार पुत्र व विमला देवी विधवा लालो, 6. हंस राज पुत्र कौशल्या देवी, निवासी गांव तंगरोटी खास, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––तकसीम भूमि खाता नं0 54, खतौनी नं0, 64, खसरा नं0 518, 677, 678, 683, कित्ता 4, रकबा तादादी 00–45–95 है0, वाक्या महाल तंगरोटी खास, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विनय कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव व डा0 योल, तहसील धर्मशाला, Through SPA श्री अंशुल शर्मा पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी गांव अंदराड़, पोस्ट ऑफिस टंग नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी / इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम

करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–10–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समार्हर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 85 / 25.

1. राम रथ पुत्र किशन चन्द, 2. अर्जुन कुमार पुत्र आत्मा राम, निवासीयान महाल रसां, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. नरिंदर कुमार पुत्र जगत राम, 2. विजय कुमार, 3. अजय कुमार पुत्र वीर सिंह, 4. संजय कुमार, 5. विनय कुमार, 6. अनिल कुमार पुत्र व, 7. इन्दिरा देवी विधवा ओंकार सिंह, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र श्याम लाल, 9. दीपक पुत्र व, 10. श्रीमती वीना देवी पुत्री व, 11. शीला देवी, 12. राम प्यारी विधवा परषोतम चन्द, 13. कुमारी एवलीन कौर पुत्री व दीप शिखा विधवा सुरिन्दर पाल, 14. सविता भूषण पुत्री किशोरी लाल, 16. सविता देवी पत्नी शिवनीत, 17. संदीप राणा पत्नी प्रकाश चन्द, 18. सीता देवी पत्नी हंस राज, निवासी गांव रसां, डा0 सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––तकसीम भूमि खाता नं0 33, खतौनी नं0, 46, खसरा नं0 194, रकबा तादादी 00–52–40 है0, वाक्या रसां, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थी राम रथ पुत्र किशन चन्द, 2. अर्जुन कुमार पुत्र आत्मा राम, निवासीयान महाल रसां, मौजा सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। वादी पक्ष की तरफ से हाजिर कौंसिल श्री विजय मेहरा द्वारा इस बारे दिनांक 03–09–2025 को प्रार्थना–पत्र दिया है। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी / इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–10–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 03–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 10 / ना0 / 2025 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 25–10–2025

श्री हरनाम सिंह कलोतरा पुत्र श्री तुलसी राम, गांव कच्छाल भण्डारियां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादीगण।

विषय.––इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

श्री हरनाम सिंह कलोतरा पुत्र श्री तुलसी राम, गांव कच्छाल भण्डारियां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री सुनीता देवी का जन्म दिनांक 17–09–1982 को गांव कच्छाल भण्डारियां, डाकघर जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत वागकुलंजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मेरी पुत्री का जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत वागकुलंजा के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वागकुलंजा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सुनीता देवी पुत्री शकुन्तला देवी पत्नी हरनाम सिंह कलोतरा, गांव कच्छाल भण्डारियां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 17–09–1982 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25–10–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव वागकुलंजा को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05–09–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जससिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 23 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमाः शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 23–09–2025

1. संदीप ठाकुर पुत्र श्री प्रीतम चन्द, गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. दीपिका शर्मा पुत्री ध्रुव देव शर्मा, गांव पण्डोल रोड नजदीक रेवले फाटक बैजनाथ, तहसील वैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी संदीप ठाकुर पुत्र श्री प्रीतम चन्द, गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ..प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थी संदीप ठाकुर पुत्र श्री प्रीतम चन्द, गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 10–10–2010 को दीपिका शर्मा पुत्री ध्रुव देव शर्मा, गांव पण्डोल रोड नजदीक रेवले फाटक बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत लम्बागांव में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 23–09–2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लम्बागांव को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 71 / तह0 / 2025 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23–09–2025

निर्मला देवी पुत्री स्व0 श्री राम दिता, गांव टम्बरू, डा0 द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादीगण।

विषय : मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

निर्मला देवी पुत्री स्व0 श्री राम दिता, गांव टम्बरू, डा0 द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 09–12–1959 को गांव टम्बरू, डा0 द्रमण, ग्राम पंचायत द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत द्रमण के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत द्रमण को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चसपांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राम दिता पुत्र महेशा, गांव टम्बरू, डा0 द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि 09–12–1959 के मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23–09–2025 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव द्रमण को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05–09–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जससिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 04 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमाः शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 23–09–2025

1. दया देवी पुत्री जसवन्त सिंह, गांव कच्छाल भण्डारियां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार पुत्र मीनक राम, गांव चम्बी, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता प्रतिवादीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थिया दया देवी पुत्री जसवन्त सिंह, गांव कच्छाल भण्डारियां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 10–12–1990 को स्व0 श्री कृष्ण कुमार पुत्र मीनक राम, गांव चम्बी, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत चम्बी में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 23–09–2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चम्बी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 13 / NT/C/2020 तारीख दायरा : 29–08–2025 तारीख पेशी : 29–09–2025

यश्पाल सिंह पुत्र प्यारू, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आ''ाय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल घाटी विल्वां में यश्पाल पुत्र प्यारू पुत्र दयाला दर्ज है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र में यश्पाल सिंह पुत्र प्यारू दर्ज है। जोकि प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल घाटी विल्वां में अपना नाम यश्पाल उपनाम यश्पाल सिंह पुत्र प्यारू पुत्र दयाला के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इ''तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29–09–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पे''ा कर सकते हैं उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 07 / T/C/2020 तारीख दायरा : 06–09–2025 तारीख पेशी : 08–10–2025

सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमीं चन्द, वासी महाल नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आ''ाय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नारी में सुरिन्दर कुमार पुत्र अमीं चन्द दर्ज है जबकि आधार कार्ड,

स्कूल प्रमाण–पत्र व पंचायत रिकार्ड में सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमीं चन्द दर्ज है। जोकि प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में अपने नाम की दुरुस्ती सुरिन्दर कुमार उपनाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमीं चन्द के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इ''तहार / नोटिस राजपत्र, हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पे''ा कर सकते हैं उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Sh. Kunal Mehra s/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o V.P.O. Rehlu, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).

2. Smt. Muskan d/o Sh. Sheru, r/o Near Masjid, V.P.O. Jia, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

1. General Public.

2. Local Registrar, Gram Panchayat Rehlu. . .*Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Kunal Mehra s/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o V.P.O. Rehlu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Muskan d/o Sh. Sheru, r/o Near Masjid, V.P.O. Jia, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.) has filled an application u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 13-04-2025 r/o Near Masjid, V.P.O. Jia, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 06-10-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Sd/-
Seal. (KARTAR CHAND),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 17 / 2025 तारीख रजुवा : 10–04–2025 तारीख फैसला :

श्री बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह, निवासी गांव कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह, निवासी गांव कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त कामरू के राजस्व कागजात मौजा कामरू कुपा खास लाचोदेन व गोरोदेन में बसंत राम पुत्र श्री चन्दर सिंह दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण–पत्र में बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह है। वादी राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में अपना नाम बसंत राम पुत्र श्री चन्दर सिंह के स्थान पर बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों को मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई, मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया गया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात के राजस्व मौजा कामरू कुपा खास लाचोदेन व गोरोदेन में बसंत राम पुत्र श्री चन्दर सिंह दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण–पत्र में बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह सही पाया गया मौके पर ग्रामवासी कामरू के ब्यानात लिए गए हैं संलग्न मिसल है। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्य नजर रखते हुए वादी के नाम की राजस्व माल कागजात मौजा कामरू कुपा खास लाचोदेन व गोरोदेन में दुरुस्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा कामरू में बसंत राम पुत्र श्री चन्दर सिंह के स्थान पर बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 29–09–2025 को असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा कामरू में वादी के पिता का नाम बसंत राम पुत्र श्री चन्दर सिंह के स्थान पर बसंत नेगी पुत्र श्री चन्दर सिंह दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–08–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 29 / 2025 तारीख मजरूआ : 08–09–2025 तारीख फैसला : 09–10–2025

श्रीमती फूला देवी पुत्री रान्झा राम पत्नी स्व0 दयाल चन्द, निवासी ब्रैहल, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती फूला देवी पुत्री रान्झा राम पत्नी स्व0 दयाल चन्द, निवासी ब्रैहल, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र सहित दायर किया है कि वादी का जन्म दिनांक 01–07–1950 को हुआ है। लेकिन किसी अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमलाह के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। इस प्रकार से वादी को कई कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह 09–10–2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। अन्यथा इनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमलाह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती बर्फी देवी सुपुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी जन्झैल, डा0 रोपड़ी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 01–09–1965 है, जोकि ग्राम पंचायत रोपड़ी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत रोपड़ी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10–10–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती ललिता देवी सुपुत्री श्री रूप सिंह, निवासी भल्याणा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ललिता देवी है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बाग के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भल्याणा में गलती से ललता देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 09–10–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 28 / XIII of 2025 दिनांक : 04–09–2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री इरफान मुहम्मद पुत्र श्री गफूरा पुत्र मोहम्मद सदीक, निवासी ग्राम व डा0 मिश्रवाला, उप–तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में Case No. 28/XIII of 2025 (Case titled as Irfan Vs. General Public) मौजा मिश्रवाला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। मौजा मिश्रवाला में प्रार्थी के पिता का नाम फुरा पुत्र मोहम्मद सदीक पुत्र झण्डू कागजात माल दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम फुरा उर्फ गफूरा पुत्र मोहम्मद सदीक पुत्र झण्डू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दुरुस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री गौरी शंकर प्रजापति पुत्र श्री नन्हेलाल प्रजापति, निवासी रुचिरा पेपर मिल, काला अम्ब, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा।

(Address of place of Birth : Sneh Hospital Kala Amb, Gram Panchayat Kala Amb, Tehsil Nahan, District Sirmaur, (H.P.).

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री गौरी शंकर प्रजापति पुत्र श्री नन्हेलाल प्रजापति, निवासी रुचिरा पेपर मिल, काला अम्ब, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5561, दिनांक 31–07–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, कागजात स्नेह होस्पिटल, काला अम्ब आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसके पुत्र कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajapati) की जन्म तिथि 14–09–2023 है, जिसका जन्म स्नेह हॉस्पिटल, काला अम्ब, तहसील नाहन में हुआ है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत काला अम्ब में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपने पुत्र कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajapati) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 08–10–2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री गौरी शंकर प्रजापति पुत्र श्री नन्हेलाल प्रजापति, निवासी रुचिरा पेपर मिल, काला अम्ब, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा की पुत्र कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajapati) की जन्म तिथि 14–09–2023 ग्राम पंचायत काला अम्ब, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 06–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
30/2025	04-09-2025	Pending for 08-10-2025

Ms. Mehak d/o Sh. Jasvinder, r/o Village Melion, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Mehak d/o Sh. Jasvinder, r/o Village Melion, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that she is born on 02-02-2007 at Village Melion, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Melion, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Melion, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and death records.

Therefore, by this proclamation the general publc is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Mehak d/o Sh. Jasvinder & Smt. Chetna Devi, may submit their objections in writing in this court on or before 08-10-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 05th day of September, 2025.

Seal. Sd/-
(INDER KUMAR),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Majra, District Sirmaur H.P.

In the Court of Sh. Om Prakash Thakur, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Kaffota, District Sirmaur, Himachal Pradesh

1. Rajender Kumar s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Jajli, Post Office Poka, Tehsil Kamrau, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

2. Chameli Devi d/o Sh. Heera, r/o Village Dhab Pipli, Post Office Kanti Mashwa, Tehsil Kamrau, District Sirmaur, Himachal Pradesh. . .*Applicant.*

Versus

General Public

Subject. — Proclamation for Registration of Marriage under section 8.4 of Himachal Pradesh *Registration of Marriage Act, 1996.*

Sh. Rajender Kumar & Chameli Devi has filed an application on 18-08-2025 alongwith affidavits in the court of the undersigned under section 8.4 of the Registration of Marriage Act 1996 that thay have solemnized their marriage on 30-05-2003 and thay are living as husband and wife since then. Due to ignorance thay have not registered their marriage in concerned Panchayat (Registrar of Marriage). Therefore their marriage may be registerd under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration Marriage Act, 1996.

Therefore, the General Pubic is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 29-09-2025. The objection recieved after 29-09-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 03-09-2025 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Kaffota, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Narain Singh s/o Late Chhangu Ram, r/o Village Kothi, P.O. Khadihar, Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 5101 3962 0490 wrongly entered as Naryan Singh, whereas my correct name is Narain Singh. Concerned please note.

NARAIN SINGH
s/o Late Chhangu Ram,
r/o Village Kothi, P.O. Khadihar,
Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Indira Devi w/o Sh. Dilawar, r/o Dasakna, Tikari (166) Tikari, P.O. Korag, District Sirmaur (H.P.) has declare that I have changed my minor daughter's name from Abbas Rana to Abhas Rana. Concerned please note.

INDIRA DEVI
w/o Sh. Dilawar,
r/o Dasakna, Tikari (166) Tikari,
P.O. Korag, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o V.P.O. Banuri, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 063 declare that my daughter's correct name is Ananya Pathania, but in some records/documents her name has been wrongly entered as Anjel. Anjel and Ananya Pathania is the same and one girl. All concerned be noted.

ANIL KUMAR
s/o Late Sh. Mast Ram,
r/o V.P.O. Banuri,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 063.

CHANGE OF NAME

I, Santi Devi (New Name) w/o Shri Dhani Ram, r/o Village Janjer, P.O. Chanawag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.)-171 103 declare that I have changed my name from Shanti Devi (previous name) to Santi Devi (New Name). All concerned please may note.

SANTI DEVI
w/o Shri Dhani Ram,
r/o Village Janjer, P.O. Chanawag,
Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.)-171 103.

CHANGE OF NAME

I, Pimala Khatri d/o Sh. Lildhar Khatri, r/o Nikhil Cottage, Near Gurudwara, Beer Khanna, Shimla-171 001, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bimla Kumari (previous name) to Pimala Khatri (new name). All concerned please may note.

PIMALA KHATRI
d/o Sh. Lildhar Khatri,
r/o Nikhil Cottage, Near Gurudwara,
Beer Khanna, Shimla-171 001,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vishal Mehra s/o Ram Krishan, r/o Kulara, P.O. Dah, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my birth certificate my name is wrongly written as Vishal instead of Vishal Mehra & my mother's name wrongly written as Kumari instead of Neelam Devi. All note it.

VISHAL MEHRA
s/o Ram Krishan,
r/o Kulara, P.O. Dah,
Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।